तारा शाहदेव का कोहली उर्फ रकीबुल से हुआ तलाक

हिन्दुस्तान नेटवर्क

रांची | वरीय संवाददाता

बहुचर्चित लव-जेहाद मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल से रांची की नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव का तलाक हो गया। रांची के फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीके गौतम की अदालत ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई करते हुए तारा शाहदेव के कोहली से तलाक के आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद अब तारा और रंजित कोहली उर्फ रकीबुल कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तारा की ओर से तलाक से संबंधित जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उससे साबित होता है कि कोहली ने तारा के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। कोर्ट ने इसी को तलाक का आधार माना है।

वहीं तारा द्वारा शादी को रद्द करने के आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि तारा ने सुनवाई के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर मैरेज को रद्द किया जाए। यहां तक कि धर्म परिवर्तन कराने की बात भी साबित नहीं हुई है। तारा की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने अदालत में पक्ष रखा।

छह जनवरी, 2017 को दाखिल हुई अर्जी

तारा शाहदेव ने छह जनवरी 2017 को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में तलाक याचिका दाखिल की थी। उसने कोहली से तलाक और शादी रद्द करने को लेकर हिंदू मैरेज एक्ट के तहत याचिका दायर की थी।

2014 को हुई थी शादी

तारा शाहदेव की तलाक याचिका में कहा गया था कि सात जुलाई 2014 को रांची के एक बड़े होटल में रंजीत सिंह कोहली के साथ उसकी शादी हुई। शादी के बाद रंजीत ने उसे प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं उसने अमानवीय तरीके से शारीरिक संबंध बनाए।

कोर्ट में इनका दर्ज हुआ था बयान

शादी में न तिलक चढ़ाया, न ही फेरे लिये : तारा

तारा शाहदेव ने अदालत में अपना बयान दिया कि शादी से पहले उसे यह पता नहीं था कि रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल मुसलमान है। शादी में न तो तिलक चढ़ाया और न फेरे लिये।

नहीं पता था मुसलमान है

द्वेंदनाथ शाहदेव ने कहा कि शादी से पहले पता नहीं था कि रंजीत कोहली मुसलमान है। वह खुद को हिन्दू बताता था। शादी के बाद उसने किसी से फोन करवाकर जानकारी दी कि उसके साथ मारपीट किया जाता है।

निकाह से किया था इंकार

शहर ए काजी कारी जान मोहम्मद मुस्तफी ने कहा कि तारा और उसके पिता का हिंदू नाम देखकर हमने निकाह कराने से इंकार कर दिया था। कहा था कि पहले धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट लाओ तब निकाह कराएंगे।

सोने नहीं दिया

कोहली ने धोखे से शादी की थी। अदालत ने धोखेबाज को सही पाया। उसने प्रताड़ना की कहानी बतायी कि चार दिन तक मुझे रात में सोने नहीं दिया जाता था।

क्रूरता को माना आधार

तारा शाहदेव के अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने तारा शाहदेव पर हुए क्रूर हरकत (क्रूरता) को आधार मानकर तलाक आवेदन को स्वीकार किया ।

हाईकोर्ट जाऊंगा : कोहली

फैसला आने के बाद रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने कहा कि मैं अब हाईकोर्ट जाउंगा। कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया।

तन्वी सेठ मामले में 37 दिन का वक्त मिलेगा

पासपोर्ट मामला

लखनऊ | हिटी

पासपोर्ट अधिकारी के मुताबिक पुलिस की एडवर्स रिपोर्ट लगने पर आवेदक को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस का जवाब देने के लिए उसे तीस दिन का समय दिया जाएगा। बाद में सात दिनों और दिए जाएंगे। तन्वी मामले में भी यही नियम अपनाया जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई जवाब नहीं दिया या फिर जवाब से पासपोर्ट विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी तत्काल प्रभाव से दोनों के पासपोर्ट रद्द कर देंगे।

पासपोर्ट अधिकारी ने एप्वाइंटमेंट के दौरान तन्वी व अनस से पते को लेकर कई सवाल किए थे लेकिन उस दौरान दोनों लोगों का कहना था कि वह लखनऊ में ही रहे हैं। अब पुलिस रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तन्वी व अनस लखनऊ के पते पर पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहते थे?

मामले की जांच नोएडा एलआईयू भी करेगी

लखनऊ के तन्वी सेठ पासपोर्ट विवाद की जांच नोएडा एलआईयू (अभिसूचना इकाई) भी करेगी। नोएडा एलआईयू की टीम पासपोर्ट कार्यालय से दस्तावेज लेकर नोएडा कनेक्शन का पता लगाएगी। लखनऊ पुलिस की जांच में पता चला है कि तन्वी और उसका परिवार एक साल से नोएडा में रह रहा है। तन्वी सेठ ने लखनऊ का अपना जो पता पासपोर्ट में लिखा है, उसका सत्यापन नहीं हो सका है। इस मामले का नोएडा कनेक्शन सामने आने के बाद नोएडा एलआईयू ने लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय से इस प्रकरण की जानकारी मांगी है।

तन्वी सेठ व अनस के पते व अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। पता चला कि तन्वी और उनका परिवार लखनऊ में नहीं रह रहा है। अब आगे की कार्रवाई पासपोर्ट विभाग के अधिकारी करेंगे। -दीपक कुमार, एसएसपी

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को पुलिस रिपोर्ट पर यकीन नहीं

तन्वी के मामले में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह पिछले एक साल से लखनऊ में नहीं रहती हैं। फिर भी आरपीओ मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 21 तारीख को नियमों को ताक पर रखकर पासपोर्ट जारी किया था। उसे सही साबित करने में वह जुटे हुए हैं। वहीं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा को पुलिस की रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। एडवर्स रिपोर्ट लगने के बाद भी आरपीओ का कहना है कि वह रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे कि आखिर एडवर्स रिपोर्ट क्यों आई है।

● आधे राज्यों में आज तक एक भी अंग प्रत्यारोपण नहीं ● ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन बनाने पर 5 राज्यों की रुचि

राज्यों की बेरुखी से अंग प्रत्यारोपण कम

संकट

नई दिल्ली | स्कन्द विवेक

वर्ष 2014 में देश में 25 हृदय प्रत्यारोपण हुए थे। पिछले वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 339 हो गया। चार साल में हृदय प्रत्यारोपण में 13 गुना से अधिक इजाफा काफी अच्छा आंकड़ा है, लेकिन यह इससे भी अच्छा हो सकता था। दरअसल वर्ष 2017 में 905 मस्तिष्क-मृत व्यक्तियों के 905 हृदय, प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध थे, लेकिन कई राज्यों में अंग पुनरुद्धार और प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो सका।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल ढाई लाख से अधिक लोगों की मौत अंग नाकाम होने की वजह से होती है। एक अनुमान के अनुसार, भारत में 50 हजार लोगों को हृदय प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) की जरूरत है। जबकि दो लाख लोगों को किडनी और 80 हजार लोगों को लीवर प्रत्यारोपण की दरकार है। लेकिन पिछले साल 339 लोगों में हृदय, 1690 लोगों में किडनी और 708 लोगों में लीवर का प्रत्यारोपण किया जा सका। गौरतलब है कि किडनी और लीवर कोई जीवित व्यक्ति भी दान दे सकता है, लेकिन हृदय सिर्फ मस्तिष्क-मृत व्यक्ति से ही हासिल हो सकता है। देश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए बनी संस्था 'नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन' (नोट्टो) के निदेशक डॉ. विमल भंडारी ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में कहा कि देश के 16-17 राज्यों, खासकर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में ही सारे अंगदान और प्रत्यारोपण हो रहे हैं। लेकिन पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व के राज्य तथा हिंदीभाषी राज्य अंगदान और अंग प्रत्यारोपण में खासे पीछे हैं। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने तो अब तक अंग प्रत्यारोपण का खाता ही नहीं खोला है।

अंग प्रत्यारोपण के लिए संसाधनों की जरूरत

भंडारी ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण के लिए काफी विशेषज्ञता और संसाधनों की जरूरत होती है। लेकिन अंग पुनरुद्धार (रिट्रीवल) के लिए उतनी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, देश में हर साल डेढ़ लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। इनमें से 10 फीसदी से भी अगर हम अंग लेने में सफल हो गए तो 30 हजार लोगों को किडनी मिल सकेगी और 15 हजार लोगों को लीवर मिल सकेगा।

कितने अंगों की दरकार

अंग	मांग (रुपये में)
हृदय	5,000
किडनी	2,00,000
लीवर	80,000

हृदय प्रत्यारोपण

वर्ष	प्रत्यारोपण
2014	25
2015	110
2016	235
2017	339

हजारों जवानों ने अंगदान की शपथ ली

संकल्प

नई दिल्ली। ऐसे समय में जबकि भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है, सीमा सुरक्षा बल के 50 हजार से अधिक जवानों ने अंगदान की प्रतिज्ञा लेकर एक उदाहरण पेश किया है।

नोट्टो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोगों को अंगदान के बारे में जागरूक करने और उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए दो साल पहले अंगदान की प्रतिज्ञा दिलाने का अभियान शुरू किया गया था। करीब 17 लाख लोगों ने अंगदान की प्रतिज्ञा की है। इसमें 50 हजार बीएसएफ के जवान हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस प्रतिज्ञा की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मृत्यु के बाद अंगदान करना है या नहीं इस पर अंतिम फैसला करने का अधिकार मृतक के परिजनों को ही रहेगा।

अभियान

- दो वर्ष पहले अंगदान की प्रतिज्ञा दिलाने का अभियान शुरू किया गया था
- इसके तहत अब तक 17 लाख लोग अंगदान करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं

भारत में 10 लाख में से 0.86 लोग ही अंगदान करते हैं। स्पेन में यह आंकड़ा 40 के करीब है। देश में अंगदान में कमी का कारण लोगों में इससे जुड़ी भ्रांतियां हैं। सीमा पर हमारी सुरक्षा करने वाले बीएसएफ जवानों ने जिस उत्साह के साथ अंगदान की प्रतिज्ञा ली है वह अनुकरणीय है। मैं उनको सलाम करता हूं।

- डॉ. विमल भंडारी, निदेशक, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन, भारत

पांच हजार मैला ढोने वाले मिले

नई दिल्ली। सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए राज्यों की धीमी रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 राज्यों के 170 चिह्नित जिलों में खुद सर्वे कराने का काम शुरू किया है।

अब तक 125 जिलों में सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें 5365 मैला ढोने वालों को चिह्नित किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को सरकार का चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चार स्टेडियम का निर्माण करवा रही है। (विसं)

नीरव की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को मंजूरी

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर की अपील को मंजूरी दे दी है। ईडी ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले नीरव के प्रत्यर्पण की अपील की थी।

न्यायाधीश एम एस आजमी ने इस केंद्रीय एजेंसी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। ईडी के वकील हितेन वेनेगावकर ने बताया कि यह आदेश विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा जो ब्रिटिश सरकार को अग्रसारित करेगा।

बारुदी सुरंग में विस्फोट से चार जवान शहीद

झारखंड

रांची | मुख्य संवाददाता

झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिले की सीमा पर स्थित बूढ़ापहाड़ इलाके में मंगलवार शाम भाकपा माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान बारुदी सुरंग में विस्फोट से चार सुरक्षा जवान शहीद हो गए।

मंगलवार की देर शाम झारखंड जगुआर के 112 बटालियन और एसाल्ट ग्रुप 40 के जवान भाकपा माओवादियों के खिलाफ अभियान खत्म कर बूढ़ापहाड़ से उतर रहे थे। इस दौरान खपरी महुआ नामक स्थान के पास तुरेर में माओवादियों द्वारा बिछाई गई बारुदी सुरंग में विस्फोट हो गया। इसमें चार जवान शहीद हो गए। इससे पहले पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। बूढ़ा पहाड़ में ऑपरेशन का नेतृत्व झारखंड जगुआर में प्रतिनियुक्त डिप्टी कमांडेंट कर रहे थे। घटना की सूचना पर पलामू, लातेहार, गढ़वा के पुलिस अधिकारी मौके पर निकल गए।

आंध्र प्रदेश के विश्वनाथ ने की थी घेराबंदी : एक करोड़ का इनामी अरविंद जब बूढ़ापहाड़ पर था, तो पुलिस ने उसे दबोचने के लिए अभियान चलाया था। बूढ़ापहाड़ पर भाकपा माओवादी विश्वनाथ उर्फ संतोष ने विस्फोटकों से पूरी घेराबंदी की थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गृह विभाग/अभियोजन निदेशालय शाखा
5वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं.फा0 11/47/2017/डीओपी/एचपी-IIबी/218 दिनांक: 13.06.2018

विज्ञापन

अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्य हेतु छह माह की अवधि के लिए या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियमित भर्ती होने तक, इसमें जो भी पहले हो में, पूर्णतः संविदा आधार पर 23 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संविदात्मक नियुक्ति की विस्तृत निबंधन एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट अर्थात् **http://delhi.gov.in/** पर अथवा गृह विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदन अभियोजन निदेशालय, कमरा नं. 172, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली-110054 में विभाग के कार्य दिवसों में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **12 जुलाई, 2018 अपराह्न 5.00 बजे** तक है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत/प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
(ओ. पी. मिश्रा)
अपर सचिव (गृह)

DIP/Shabdarth/0816/18-19

कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का विरोध

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

दक्षिणी दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय पर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट को जलाकर विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने उच्चायुक्त चेयरमैन को ज्ञापन सौंप कर रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की।

अखिल भारत हिन्दू महासभा और एसेशन फ्रंट ने भी विरोध का समर्थन किया। सोमवार अपराह्न 3:30 बजे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, अखिल भारत हिन्दू महासभा और एसेशन फ्रंट के कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष कर्नल तेज टिक्कू ने कहा कि 14 जून को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की रिपोर्ट जमीनी स्तर से तैयार नहीं की गई है।

मंदिर पर निर्णय लें मोदी और योगी : उमा

अयोध्या | हिन्दुस्तान संवाद

केन्द्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी और योगी के पास मौका है, अगर समय निकल गया तो अवसर गंवाना होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को 2019 के चुनाव से जोड़ कर देखना अनुचित है, राम मंदिर चुनाव नहीं आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि रामभक्ति राष्ट्रभक्ति है। इसलिए 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का दबाव बनाने के पक्ष में नहीं हूं। केन्द्रीय मंत्री दो दिवसीय प्रवास पर सोमवार को देर शाम अयोध्या पहुंचीं। मंगलवार को उन्होंने प्रातः मां सरयू का पूजन फिर नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी भी गईं।

मंदिर निर्माण के तीन रास्ते

उमा भारती ने कहा कि रामजन्मभूमि प्रमाणित हो चुकी है। जमीन के स्वामित्व का विवाद है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए तीन रास्ते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाए अथवा आपसी बातचीत से समस्या का समाधान हो। या फिर राष्ट्र का संकल्प हो और संविधान में संशोधन किया जाए। उन्होंने एआईआईएम नेता ओवैसी के बयान के संदर्भ में कहा कि अमेरिका में सिने स्टार शाहरुख खान व सपा नेता आजम खान के कपड़े उतरवा लिए गये थे लेकिन हिन्दुस्तान में उन्हें सम्मान व बराबरी का दर्जा दिया गया है फिर भी आरोप लगाना अनुचित है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी)
9वां तल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन: 91-11-23438188, 23476600, फैक्स: 91-11-23438165
ई-मेल: info@stpi.in, यूआरएल: http://www.stpi.in

संदर्भ सं. 1(8)/V/एसटीपीआई-एचक्यू/2018-19

वॉक-इन-इंटरव्यू

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी, एतद्द्वारा एसटीपीआई 9वां तल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 में 11.07.2018 को कंसल्टेंट (राजभाषा) के पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होने के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयूज/सांविधिक/स्वायत्त/स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित करता है।

इच्छुक उम्मीदवार योग्यता/अनुभव/जिम्मेदारियों इत्यादि से संबंधित विस्तृत सूचना के लिए एसटीपीआई वेबसाइट **www.stpi.in** पर जा सकते हैं।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(आवास शाखा)

ध्यान दे/जरुरी सूचना
1985 रेजिडेंशियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1985 रेजिडेंशियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम (उस समय के स्लम एवं जे. जे. विभाग, डी. डी. ए) के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों का सावदा घेवरा (नांगलोई क्षेत्र) में निर्मित मकान दिया जाएगा। इच्छुक प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदक इस सम्बन्ध में अपना सहमति पत्र दिनांक **17.08.2018** तक जमा करा दें। सहमति पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप तथा आवंटन से संबधित नियम एवं शर्तों के बारे में जानकारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वेबसाइट **delhishelterboard.in** पर उपलब्ध है। अन्य सहायता व जानकारी हेतु आवेदक उपनिदेशक (आवास) के कार्यालय – बी–3 विकास कुटीर, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली – 110002 से भी सम्पर्क कर सकते है।

(वी. पी. झा)
उपनिदेशक (आवास)
दूरभाष : 011–23378419

F. No. 3-10/2013- सामा. प्रशा.
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001 - हरियाणा

सूचना

इस निदेशालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक कृपया निदेशालय की वेबसाइट **http://ppqs.gov.in/notice-board** के नोटिस बोर्ड का अवलोकन करें। जिन आवेदनकर्ताओं के नाम और विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संदर्भ में मांगी गयी सूचना को समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस निदेशालय को भेजें। संबंधित उम्मीदवारों से निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होने पर उनके नाम अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

जिन आवेदकों ने 15 मई, 2018 के समाचार पत्रों में प्रकाशित को इस निदेशालय की सूचना के परिप्रेक्ष्य में पहले ही आवश्यक जानकारी जमा कर दी है उनको जानकारी को फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(अजय कुमार)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

डी.ए.वी.पी. 01104/11/0004/1819

सं. 123/10/2017-एनएसएम
भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

विषय: भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी) में निदेशक (सौर) के एक पद को भरने के लिए पुनः विज्ञापन।

दिनांक 05.03.2018 को राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में जारी किए गए विज्ञापन और इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार (17 से 23 मार्च, 2018) में और इस संबंध में इस मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए विवरण का एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है। उस विज्ञापन के अधिक्रमण में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुसूची 'क' सीपीएसई में निदेशक की नियुक्ति के लिए पीईएसबी दिशा-निर्देशों की लाईन पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर 75,000-1,00,000 रु. (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में निदेशक (सौर) के एक पद को भरने हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)/केंद्रीय सरकार (संघों के सशस्त्र बल/सभी भारतीय सेवाओं सहित)/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वे सभी जो पिछले विज्ञापन के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और यदि वे नई पात्रता/आयु/अनुभव आदि के अनुसार योग्य हैं तो उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

2. निदेशक (सौर), सेकी की भती के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के साथ विस्तृत योग्यता मानदंड/योग्यता, अनुभव और अन्य प्रासंगिक आवश्यकताओं को एमएनआरई की वेबसाइट **www.mnre.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. आवेदन को निर्धारित प्रारूप में शैक्षिक योग्यता, आयु और अनुभव आदि के समर्थन में दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए उचित माध्यम से नीचे अधोहस्ताक्षरी को भेजा जा सकता है ताकि 31.07.2018 तारीख को 4.00 बजे तक पहुंच सके।

4. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदनों को 16.08.2018 तारीख को 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

(देवेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 24360625

डीएवीपी 28101/11/0006/1819